न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म•प्र• राजस्व मण्डल ग्वालियर स्थायी बेन्च रीवा म•प्र•

402

II/निग/प्र.सी./2017/4608

रा० नि०प्र० क्र० . 17

20रु. कोर्ट फी COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES विखंडित/विखंडित

20रु. Rs.20 कोर्ट फी INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES विखंडित

स्थ०श्री सूर्यनाथ पाण्डेय द्वारा पेश / 23-11-17

अंबिका प्रसाद द्विवेदी तनय रघुबरसरण द्विवेदी उम्र 60 साल पेशा खेती निवासी ग्राम ब्योहारी तहसील ब्योहारी जिला शहडोल म•प्र• ---- निगरानी कर्ता

बनाम

1• केशव प्रसाद द्विवेदी तनय सत्यनारायण द्विवेदी उम्र 55 साल पेशा खेती निवासी ग्राम ब्योहारी तह० ब्योहारी जिला शहडोल म•प्र•

2• राममिश्र द्विवेदी तनय रामसखा द्विवेदी उम्र 60 साल पेशा खेती निवासी ग्राम साखी तह० ब्योहारी जिला शहडोल म•प्र• ---------- गैरनिगरानी कर्ता गण

राजस्व निगरानी विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील ब्योहारी जिला शहडोल म•प्र• के रा० प्र० क्र० 67अ27/16-17 आदेश दिनांक 5•9•17 ,

अन्तर्गत धारा 50 म•प्र• भू• रा• सं• 1959 ई०।

मान्यवर,

निगरानी कर्ता द्वारा निगरानी के आधार निम्न है :-

1• यह कि निगरानी कर्ता एवं गैरनिगरानी कर्ता क्र० 1 एक ही परिवार के है, दोनो का समस्त पैत्रिक भूमियो मे बराबर का हिस्सा है तथा गैर निगरानी कर्ता क्र० 2 उस वंशज का नही है ।

2- यह कि ग्राम ब्योहारी तह० ब्योहारी जिला शहडोल म•प्र• की आराजी भूमि ख० क्र० 1014 रकबा 2•05 ए० 1015 रकबा 0•97ए०, 1016 रकबा 0•36ए० 1264 रकबा

आगे पृष्ठ ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक –दो/निग./शहडोल/भू.रा./2017/4608

अंबिका प्रसाद द्विवेदी विरूद्ध केशव प्रसाद द्विवेदी व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सूर्य नारायण शुक्ला उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार तहसील व्योहारी जिला-शहडोल के प्रकरण क्रमांक 67/अ-27/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 05-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

23/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य